**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या : 300**

**उत्तर देने की तारीखः 28.07.2014**

**बालिकाओं के लिए शिक्षा**

**300. श्रीमती जया बच्चनः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बालिकाओं की शिक्षा की खराब हालत की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी स्तरों पर उनकी शिक्षा में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग) : **विवरण** **सदन के पटल पर रख दिया गया है।**

\*\*\*\*\*

**बालिकाओं के लिए शिक्षा के संबंध में श्रीमती जया बच्चन द्वारा** दिनांक **28.07.2014** को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्या 300 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) : **वर्ष 2013-14 के एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) आंकड़ों के अनुसार बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर पर 102.65**%, **प्रारंभिक स्तर पर 99.09**%**, माध्यमिक स्तर पर 75.15% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 49.81% है।**

**सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) क्रमशः प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रम हैं, जिनमें बालिकाओं के लिए लक्षित कार्यक्रम हैं। बालिका शिक्षा के लिए एसएसए की कार्यनीतियों में अन्य बातों के साथ-साथ बालिकाओं के लिए पड़ोस में स्कूल खोलना ताकि बालिकाएं आसानी से स्कूल पहुंच सकें, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, निःशुल्क वर्दियां, बालिकाओं हेतु अलग शौचालय बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों सहित लड़कियों के लिए सुग्राही पठन-पाठन सामग्री शामिल है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/मुस्लिम और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं को आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध करवाने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे ब्लॉकों में, जहां महिला ग्रामीण साक्षरता स्तर दर राष्ट्रीय औसत से कम है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) खोले गए हैं।**

**आरएमएसए में माध्यमिक स्कूलों के सुदृढ़ीकरण और नए स्कूल खोलने, अतिरिक्त शिक्षकों, दूरस्थ/पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों हेतु आवासीय क्वार्टरों, शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका छात्रावासों, शिक्षकों का महिलाओं के प्रति संवेदशनशील होना, बालिकाओं हेतु अलग शौचालय ब्लॉक, स्कूलों में बालिकाओं के लिए कार्यकलाप कक्ष आदि का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई) द्वारा कक्षा** IX **तक सावधि जमा खाता हेतु निधियां प्रदान करते हुए विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की बालिकाओं की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को घटाने और उनके नामांकन को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं।**

\*\*\*\*\*